

प्रधान,

एच०पी० सिंह

विशेष सचिव

उम्प० शासन।

सोना मैं,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उम्प०, लखनऊ।

नगरीय रोडगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक : ३१ जुलाई, २०१५

उम्मलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय मलिन वस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में अनुदान संख्या-३७ से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-११५२/१८४/१०/छ.:/विविध/आसरा/तकनीकी (रामपुर-हूंगरपुर-१००८) दिनांक १९ जून, २०१५ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय मलिन वस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में अनुदान संख्या-३७ में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अनपद-रामपुर की निकाय-रामपुर (हूंगरपुर) की १००८ रिलोकेशन आवासों की ०१ परियोजना हेतु रु० ४८९७.१४ लाख की प्रशाशकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, तालिका के स्तम्भ-७ में अंकित प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत वा ४० प्रतिशत अंशत कुल धनराशि रु० १९५८.८५६ लाख (रूपये उन्नीस करोड़ अट्ठावन लाख पचासी हजार छः सौ मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवेदनों के अधीन राहर्य स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)


क्र०	जनपद/ स० का नाम	कुल आवासों की संख्या।	अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	सामान्य वर्गे के लाभाधियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्गे लाभाधियों के लाभाधियों की सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	प्रथम किश्त (४० प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (सेवने ज चाहें एवं लेवर से सहित)।
१	२	३	४	५	६	७
१	रामपुर/ रामपुर (हूंगरपुर)	१००८	४८९७.१४	१००८	४८९७.१४	१९५८.८५६
	योग			१००८	४८९७.१४	१९५८.८५६

१. इकत धनराशि का द्वया आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- ३३/६९-१-१३-१४(३१)/२०१२टीसी(सी), दिनांक १६ जनवरी, २०१४ एवं शासनादेश संख्या-१८३३/६९-१-१४-१४(३१)/२०१२टीसी(सी) दिनांक ०९ सितंबर, २०१४ में दिये गये दिशा-निर्देश/रायगढ़ा का पूर्णरूपेण अनुपालन रुलिंशित करते हुए की जायेगी।
२. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुरिस्तका खण्ड-६ के अध्याय-१२ के प्रस्तर-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

१००८/४८९७.१४/१९५८.८५६

3. प्रायोजनों का निर्माण कार्य प्राप्ति करने से पूर्व भालविडे के आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास परिवरण/सदाचल लोकों अथवाएँ ऐसे स्थीकृत बनाया जायेगा। तथा ही नियमानुसार समस्त आवश्यक ईधनिक आपत्तिगत एवं पर्यावरणीय विलयेन्स प्राप्त करने के प्रसान्त ही निर्माण कार्य पारम्परिक बिन्दा जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजनों राजना एवं भू-व्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समव्यय समिति द्वारा विर्भासित शर्तों/प्रतिवेद्यों के अधीन उपर्युक्तानुसार विस्तृत मद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में मानकीकृत क्षेत्रफल, मानचिह्न एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्थीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार वज्र कारट एवं केलेशन अनुगम्य नहीं होगा।
6. सूडा/दूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्थीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्थीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य विस्तृत अन्य कार्य योजना में राखियां लिए हैं। उक्त स्थीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों को दिसवृत्ते/पुनरावृत्ति न हो इसे सूडा/दूडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उन्नेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ावा, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्वर विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी रांथा द्वारा तकनीकी स्थीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस विधि में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा यदि ने पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सीट आवासों के भू-स्थानियों के भू-स्थानित्य का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूडा/दूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानवीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभियान व राजबन्धित दूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सहाय स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विन्टुओं सहित यथापेक्षित योजना लिंटेशनों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्यन्त सम्बन्धित दूडा/उनके माध्यम से लिमाण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी 30मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिस्तानरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण वीं गृहना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र०, इलाहाबाद को आदेश वीं प्रति वीं साथ कोषागार का नाम, बाल्चर संघर्ष, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक बारे के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. राष्ट्रीय धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपालिट खाते व पी०प्ल००० में नहीं रखी जायेगी। राष्ट्रीय धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा विर्भासित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसीं राज्य सरकार द्वारा विर्भासित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/मुग्तान के पूर्व यथाविषयम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत की कटौती सुरक्षाती अनिवार्य विशिक प्रतिवेद्यों के अनुपालन का द्याव रखा जायेगा।


14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय। योजनान्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात् तथा उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त योजना की 40 प्रतिशत धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जायेगी। प्रथम एवं द्वितीय किश्त की समिग्गिलित धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग होते पर 15 प्रतिशत धनराशि तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जायेगी। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, वथास्थिति, नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापति किये जाने के पश्चात् ही द्वितीय एवं तृतीय किश्त की धनराशि जारी की जायेगी। परियोजना वा कार्य पूर्ण होने तथा कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही वकाया 5 प्रतिशत की अवशेष धनराशि जारी की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकग्रुप्त शासन को वापस करनी होगी।
15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षीय पर अपने लेखों का जिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एगोओयो) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित द्रुटा को निर्देशित किया जायेगा।
1. अपरिवर्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूँजीगत परिवर्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03 आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-युहू निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
2. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या-५-८-२०४७/दस-२०१५ दिनांक २२ जुलाई, २०१५ में प्राप्त उन्हीं सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या -II/3 /2015/1622(1)/69-1-15, तदिनांक।

प्रतीक्षित निर्वन्मियित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नगर, मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परिक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां तल, संगम एलेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/आध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, रामपुर।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
6. वियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुद्रण कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट सम्बन्धक।

आज्ञा से,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।